



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052022-235655
CG-DL-E-09052022-235655

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944

No. 2056]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

(आय-कर)

का.आ. 2161(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 2ग के उपनियम (1) के खंड (i), उपनियम (5) एवं उपनियम (6), नियम 5गक के उपनियम (1), उपनियम (5) एवं उपनियम (6), नियम 11कक के उपनियम (1) के खंड (क), उपनियम (5) एवं उपनियम (6) और नियम 17क के उपनियम (1) के खंड (ii), उपनियम (5), उपनियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अधिसूचना सं. 2021 का 30 (जिसे इसके पश्चात् अधिसूचना कहा जाएगा) जो की भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में का.आ. सं.1443 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी का संशोधन करता है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, "और आयकर आयुक्त (छूट) बेंगलुरु" शब्दों को विलोपित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 52/2022/फा.सं. 370142/4/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1443(अ) तारीख 1 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th May, 2022
(INCOME-TAX)

S.O. 2161(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 2C, sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 5CA, clause (a) of sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 11AA and clause (i) of sub-rule (1), sub-rule (5) and sub-rule (6) of rule 17A of the Income tax Rules, 1962 the Central Board of Direct Taxes hereby amends the Notification Number 30 of 2021 (hereinafter referred to as the said Notification), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1443(E), dated the 1st April, 2021, namely:-

2. In the said notification, in the opening paragraph, the words “and Commissioner of Income-tax (Exemption), Bengaluru” shall be omitted.

[Notification No. 52 /2022/F. No. 370142/4/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1443(E), dated the 1st April, 2021, which has not been amended so far.